

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहत्ता, खूँटी

अनुगति वाद संख्या : -454 / 2022-23

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

विजय रेवेन.....	आवेदक / विक्रेता
तुरलेन हस्सा पुर्ती.....	क्रेता
	बनाम्
राज्य सरकार.....	द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
08.01.2024	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती विजय रेवेन पिता/पति रख्यो डेविड उरांव ग्राम-हुटार, पो०-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुगति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <p style="text-align: center;"><u>भूमि का विवरण</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकवा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हुटार</td> <td>238</td> <td>36</td> <td>737</td> <td>0.13½</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती विजय रेवेन पिता/पति रख्यो डेविड उरांव ग्राम-हुटार, पो०-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती तुरलेन हस्सा पुर्ती पिता/पति मनमसिंह पूर्ती ग्राम-कदमा, पो०-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवारीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0519538876 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1002 दिनांक 27.12.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम सनतोष उराँव है। आवेदक पंजी॥ रैयतों में से एक के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी॥ के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 47 पर जमावंदी दर्ज है।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा(एकड़ में)	हुटार	238	36	737	0.13½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकवा(एकड़ में)								
हुटार	238	36	737	0.13½								

(5) आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं।


अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 74 दिनांक 28.12.2022 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं- JHCST/2020/68435 दिनांक 25.04.2020 वो अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं- JHRC/2022/239518 दिनांक 18.06.2022 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1002 दिनांक 27.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती विजय रेवेन पिता/पति स्वरूप डेविड उरांव ग्राम-हुटार, पोर्ट-गुटजोरा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती तुरलेन हस्ता पूर्ती पिता/पति मनमरिह पूर्ती ग्राम-कदमा, पोर्ट-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम हुटार के खाता सं- 36, खेसरा संख्या 737, कुल रकवा 0.13½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निवंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।